बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

आदेश

पटना, दिनांक–..............................

सं0–8A/आ0 (राज0उ0)-2-33/2026-3645/ पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) जिला के रघुनाथपुर एवं तुरकौलिया थाना क्षेत्र में जहरीली पदार्थ के सेवन से कई व्यक्तियों की संदिग्ध मृत्यु एवं अन्य कई व्यक्तियों के बीमार होने संबंधी मामले में विभागीय ज्ञापांक–2425 दिनांक–27.04.2026 द्वारा नियमित निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण में चूक के संबंध में श्री विकास कुमार सिन्हा, उपायुक्त मद्यनिषेध, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर सम्प्रति प्रतिनियुक्त विभागीय मुख्यालय, पटना से स्पष्टीकरण की माँग की गयी थी।

2. श्री सिन्हा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को सम्यक समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा स्वीकृत करते हुए उपायुक्त मद्यनिषेध, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के क्षेत्राधीन जिलों में मद्यनिषेध नीति के सफल क्रियान्वयन व बेहतर पर्यवेक्षण हेतु श्री सिन्हा की विभागीय मुख्यालय में की गयी प्रतिनियुक्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 8A/आ0 (राज0उ0)-2-33/2026 3645/ पटना, दिनांक– 15.6.26

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आयुक्त उत्पाद–सह–निबंधन महानिरीक्षक के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त आयुक्त मद्यनिषेध/सभी उपायुक्त मद्यनिषेध/सभी सहायक आयुक्त, मद्यनिषेध/सभी अधीक्षक मद्यनिषेध/मुख्यालय के सभी पदाधिकारियों/विभागीय आई0टी0 मैनेजर एवं श्री विकास कुमार सिन्हा, उपायुक्त मद्यनिषेध, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर सम्प्रति प्रतिनियुक्त मुख्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/6/2026

सरकार के संयुक्त सचिव